

प्रेम्बल,

श्री अमीक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

21/1/91

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय-केन्द्र,
प्रो.सि. विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संज्ञक: दिनांक: 3 अगस्त, 1993

विषय:-

अमीती कान्वेन्ट स्कूल सेक्टर, 33 नोयेडा गाजियाबाद को सी०बी०
एस्०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्त प्रमाण पत्र दिये जाने
के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि अमीती
कान्वेन्ट स्कूल, सेक्टर, 33 नोयेडा गाजियाबाद को सी०बी०एस्०ई० नई दिल्ली से
सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रातिबन्धों के
अधीन आपत्त नहीं है ।

- 11। विद्यालय की पंजाकृत सौसायदा का सम्य सम्य पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 12। विद्यालय की प्रबन्ध समित्त में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित
एक सदस्य होगा ।
- 13। विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालय
में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं
लिया जायेगा ।
- 14। संस्था द्वारा राज्य सरकार से मुक्ती अनुदान का मांग नहीं
का जायेगा और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद
से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि
इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त
होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने
का तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान
स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 15। संस्था शैक्षिक एवं शिक्षिततर कर्मचारियों को राजकीय सहायता
प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा
अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

A. Bhatnagar
Manager

ASSISI CONVENT SCHOOL
A-43, Sector-33
NOIDA, U. P. 201307

A.

PRINCIPAL
ASSISI CONVENT SCHOOL
NOIDA